

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/कोर्ट केश-09-07/2017/ राँची, दिनांक/

-: आदेश :-

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770/वि. दिनांक 31.12.1981 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्न कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/आई.डी./ जन्म तिथि/वर्तमान पदस्थापन/ प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि एवं प्रोन्नत वेतनमान	प्रदत्त औपबंधिक प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री वशिष्ट नारायण सिंह 'मित्रा' 10.06.41/गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज/15.04.71	15.04.1981 (850-30-1270- द.रो. 1360)	16052/22.12.87	

2. उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो प्रदत्त लाभ सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा विभागीय प्रधान सचिव को अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-

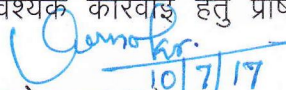
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज/वशिष्ट नारायण सिंह 'मित्रा', से० नि० कनीय अभियंता, ग्राम+पो०-हथियारा, जिला-औरंगाबाद, बिहार-824120 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 2078

राँची, दिनांक :- 10-07-17

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।